झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 25 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री राजकुमार खेरवार एवं अन्य, ग्रा०- दिरगाँव, काड़ासिल्ली, पं०-दिरगाँव, घाघरा, गुमला।

DISPOSED 11/04/2022

बनाम

प्रतिवादी DSO, गुमला।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	अपीलकर्ता श्री राजकुमार खेरवार एवं अन्य, ग्राम–दिरगांव एवं काड़ासिल्ली, पंचायत–दिरगांव, प्रखण्ड–घाघरा, गुमला का अपील अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गयी थी कि उन्हें राशन लेने हेतु 11–12 कि0मी0 दूर तक जाना पड़ता है। साथ ही उनके द्वारा राशन दुकान पास में लाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को आयोग के पत्रांक–91 दिनांक–02.02.2022 एवं पत्रांक–250 दिनांक–14.03.2022 द्वारा अनुरोध किया गया। किन्तु इस संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। इसके अतिरिक्त सनईटांगर, दिरगाँव, कोटया, झलकापाट (विशिष्ट जनजाति) असुर एवं कोरबा समुदाय के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि गाँव में राशन 35 कि0ग्रा0 के बदले 32 कि0ग्रा0 दिया जाता है। राशन लेने पहाड़ के नीचे उतरकर 11–12 कि0मी0 की दूरी तय कर के जाना पड़ता है एवं पूरा पैकेट न देकर खुला राशन दिया जाता है। प्रस्तुत मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–12.04.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई में आयोग के न्यायालय कक्ष में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई में Online उपस्थित होने हेतु शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाएं। Rajan 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju आदेश 28

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–11.04.2022 को वाद सं0–25/2022 के मामले में सुनवाई की गईः– द्वितीय पक्ष से श्री गुलाम समदानी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता श्री राजकुमार खेरवार एवं अन्य का शिकायत है कि उन्हें डीलर श्री सबिता देवी द्वारा खुला पैकेट राशन दिया जाता है। प्रति पैकेट 2 कि0ग्रा0 काटकर चावल दिया जाता है एवं किसी कारणवश यदि राशन का उठाव न हो पाए तो उन्हें राशन दोबारा नहीं मिल पाता है। शिकायतकर्ताओं को अपने घर से लगभग 11–12 कि0मी0 दूर जन वितरण केन्द्र से राशन का उठाव करना होता है। उपरोक्त शिकायत की पुष्टि माननीय सदस्य डॉ0 रंजना कुमारी के भ्रमण प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से भी होती है। उक्त शिकायत की सुनवाई के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा भी शिकायत की पुष्टि की गई एवं आस्वश्त किया गया कि वे असुर, कोरवा एवं आदिम जनजातियों को डाकिया योजना के तहत् अब से राशन घर–घर पहुँचाऐंगे एवं अन्य समूह के शिकायतकर्ताओं को राशन देने के लिए उनके घर से नजदीक जन वितरण प्रणाली केन्द्र की व्यवस्था होगी। **उक्त तथ्यों के अवलोकनोपरान्त निम्न आदेश दिये गयेः–** 1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को आदेशित किया जाता है कि घाघरा प्रखण्ड के कुल–470 PVTG परिवारों को जिन्हें प्रति परिवार दिसम्बर माह से 2 कि0ग्रा0 कम अनाज दिया गया हैं उनको दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 4 माह का कम दिये गये अनाज के बदले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा 8 के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में 1.25 गुणा की दर से 4 माह का कुल 4,700 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराकर आयोग को कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

2. चूँकि PVTG परिवारों को Door-step Delivery (DSD) किया जाता था, इसके लिए 115 रु० प्रति क्विन्टल की दर से राशि का भुगतान होता है। जिसको इस मद में व्यय नहीं किया गया। आरोप गंभीर है। अतः सरकार द्वारा आबंटित 115 रु० X 164 क्वीन्टल X 4 माह = कुल 75,440 रु० जमा कर चालान की प्रति आयोग को उपलब्ध कराया जाय।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि PVTG परिवारों के कि Door-step Delivery (DSD) का प्रावधानों का अनुपालन हो।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला कार्रवाई सुनिश्चित कर कार्रवाई प्रतिवेदन आदेश पारित होने के एक सप्ताह के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालानार्थ जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित किया जाय।

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हलधर महतो)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।